1. ब्रिजेश कुमार आ0 भागराम जाट
PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4948

2. भागराम आ0 हरीशंकर जाट

दोनो निवासी ग्राम गुराडिया जाट ,

तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद ------ अपीलार्थीगण / पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. हरी आ0 गोंडिया

निवासी बासनिया कीर , तहसील सिवनीमालवा

जिला होशंगाबाद

2. अनसुईया बाई पुत्री हजारी

निवासी ग्राम नयागांव तहसील टिमरनी जिला

हरदा

3. लक्ष्मीबाई पुत्री हजारी

निवासी टांगना , तहसील इटारसी जिला -

होशंगाबाद ---------- उत्तरवादी गण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता .

माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क्र. 284/अपील/ वर्ष 2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 जिसकी जानकारी दिनांक 09.10.17 को प्राप्त हुई एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि

....2

प्राप्त हुई जिसके द्वारा इस अभीलाथी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनीमालवा द्वारा राजस्व प्र.क्र. 96/बी-121 वर्ष 06-07 मे पारित निर्णय दि. 21.1.09 को यथावत रखा है और अभीलाथी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की है के विरुद्ध यह अभीलाथी/ पुनरीक्षणकर्ता इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारो पर प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4948

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति लिये बिना प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किया है जो मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ए) का स्पष्ट उल्लघन है अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 165 के उल्लघन किये जाने के कारण प्रकरण को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश पारित फौती नामान्तरण निरस्त करते हुये पुन: जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधिसंगत है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	